



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9406800317, Email - sanchi13a@gmail.com

७२ उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर परिसर मे साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता की नियुक्ति हेतु अल्पकालीन ई-निविदा सूचना ३०

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर परिसर में साँची स्मार्ट पार्लर के संचालन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति/पार्टियों से अल्पकालीन ई-निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। कार्य अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी (जिसे आपसी सहमति से एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।) निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा, अतः निविदाकर्ता निरंतर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर दुग्ध के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
द्वारा उच्च न्यायायल खण्डपीठ, परिसर
इन्दौर में साँची स्मार्ट पार्लर के संचालन
हेतु अल्पकालीन ई—निविदा प्रपत्र

वर्ष 2023 - 2024



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559

Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

**उच्च न्यायालय खण्डपीठ परिसर इन्दौर में साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता की नियुक्ति
हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र ५०**

- (1) ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की ■ 12.04.2023 दोप. 12:00 बजे तक।
अंतिम तिथि एवं समय।
- (2) ई-निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय ■ 12.04.2023 दोप. 12:00 बजे तक।
- (3) निविदा खोलने की तिथि एवं ■ 13.04.2023 दोप. 12:00 बजे तक।
समय।
- (4) निविदा के साथ जमा की ■ रु. 50,000/-
की जाने वाली ई.एम.डी.
राशि। (अक्षरी रु. पचास हजार मात्र)
- (5) उच्च न्यायालय खण्डपीठ परिसर■ प्रपत्र 01
इन्दौर पार्लर संचालनकर्ता हेतु तकनीकि
अर्हताओं का प्रारूप।
- (6) साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता ■ प्रपत्र 02
की सामान्य तकनीकि शर्तें।
- (7) साँची स्मार्ट मिल्क पार्लर हेतु ■ प्रपत्र 03
निविदा प्रपत्र (निविदाकर्ता का परिचय)
- (8) रु. 100/- के नॉन ■ प्रपत्र 04
ज्यूडिसियल नोटराईज्ड स्टॉम्प पत्र
- (9) अनापत्ति प्रमाण पत्र ■ प्रपत्र 05
- (10) वित्तीय बीड (केवल ऑनलाईन) ■ प्रपत्र 06
- (11) अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप ■ प्रपत्र 07

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

महोदय,

इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा इन्दौर शहर में स्थित उच्च न्यायालय खण्डपीठ परिसर, इन्दौर में सॉची स्मार्ट पार्लर के संचालन कार्य हेतु दिनांक ----- को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण	
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था / फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	वर्तमान में दुग्ध संघ में कार्यरत दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो दुग्ध संघ के दुग्ध, घी एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी तथा दुग्ध संघ से भी एन.ओ.सी. प्राप्त कर तकनीकि बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. हेतु प्रपत्र क्र. 05 संलग्न है।	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
7.	निविदाकर्ता के पास खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस के पंजीयन की प्रति संलग्न करना होगी।	
8.	विगत दो वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का इन्कम टेक्स रिट्टन I.T.R. संलग्न करें।	
9	आवेदनकर्ता के विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो एवं किसी भी पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज न हो अथवा कोई प्रकरण विचाराधीन हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से प्रमाणित कर संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्र. 04	
10	एमपीसीडीएफ के भंडार–क्रय नियम की उपक्रिडिका क्र. 8.04 के अनुसार ‘यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।’ तदाशय का रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर तकनीकि विवरण के साथ संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।	
11	जी.एस.टी. नंबर की प्रति संलग्न करें।	
12	जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
13	रु. 50,000/- की ऑनलाईन जमा की गई राशि की प्रति संलग्न करें।	

नोट – उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी स्वप्रमाणित कर ऑन लाईन प्रस्तुत करें। तकनीकि बिड में चाहे गए वांछित दस्तावेज कम पाये जाने की दशा में संबंधित निविदाकर्ता की निविदा अमान्य घोषित होगी।

हस्ताक्षर ——————

नाम ——————

पता ——————

दूरभाष / मोबाईल नम्बर ——————

साँची स्मार्ट पार्लर संचालन की नियम एवं शर्ते

प्रपत्र 02

1. निविदा के साथ निविदाकर्ता को अपना स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा मे ई.एम.डी. राशि के भुगतान से छूट रहेगी।
3. ऑनलाईन राशि रु. रुपये 50,000 (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र) ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे निविदा स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
 - (3.1) सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 4.50 लाख (अक्षरी राशि रु. चार लाख पचास हजार मात्र) नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते मे जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि मे किया जावेगा। प्रतिभूति राशि 07 दिवस मे दुग्ध संघ मे जमा करना अनिवार्य होगा।
 - (3.2) आवंटन की दशा में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ निर्धारित शर्तों का रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध एक माह मे निष्पादित करना अनिवार्य है। अनुबंध का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र. 07 पर संलग्न है। जो कि कार्य आवंटन के पश्चात सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ निष्पादित करना होगा।
 - (3.3) शर्त क्रमांक (3.1) से (3.2) तक 07 दिवस में अर्हताएँ पूरा न करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्डौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्डौर के पास निहित होगा।
4. निविदाकारों मे से साँची स्मार्ट पार्लर संचालन हेतु चयन प्रक्रिया का आधार अधिकतम किराया राशि ऑफर (H-1) के आधार पर किया जावेगा। समान दरें प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जावेगा।
5. सफल निविदाकार को साँची स्मार्ट पार्लर का वार्षिक किराया एक मुश्त दुग्ध संघ मे अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकर्ता को दो जमानतदार देना अनिवार्य होगा।
7. जमानतदार जमानत देने पर यदि साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही करेगा।

8. निविदा स्वीकृति के उपरांत साँची स्मार्ट पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तें एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु अनुबंध की अवधि में बढ़ोत्तरी किसी भी पक्ष के लिये अधिकार नहीं होगा। दुग्ध संघ द्वारा साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
9. साँची स्मार्ट पार्लर का आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि पार्लर संचालनकर्ता उसे स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा पार्लर आबंटन निरस्त किया जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा रु. 5.00 लाख (अक्षरी राशि रु. पाँच लाख मात्र) का रिफन्ड लेने के पूर्व पार्लर संचालनकर्ता को दुग्ध संघ के दुग्ध, धी एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट से क्रेट्स, बकाया राशि संबंधी नोड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।
10. विद्युत/पानी एवं अन्य व्ययों का रखरखाव एवं भुगतान साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता द्वारा किया जावेगा। साथ ही पार्लर स्थल का अनुचित उपयोग नहीं करेंगे, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं हाईजीन रखना होगा। वर्ष मे न्यूनतम एक बार पार्लर की रंगाई, पुताई एवं पैटिंग सफल निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा।
11. दुग्ध संघ के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ—लाइफ सीमित होती है। इसलिए पार्लर पर दो दिवस का ही भंडारण करना होगा। उत्पादित दिनांक से दो दिन तक का ही दुग्ध पदार्थ उपभोक्ताओं को विक्रय निर्धारित दरों पर प्रदाय करना होगा। ताजा उत्पाद भंडारण रखना होगा।
12. साँची स्मार्ट पार्लर का रख—रखाव एवं कम से कम 300 लीटर क्षमता के पर्याप्त संख्या मे डीप फ्रीजर उत्पादों के शीतलीकृत रखने/भण्डारण हेतु व्यवस्था पार्लर संचालक को स्वयं के व्यय से करनी होगी। दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय मे वृद्धि होने पर क्षमता अनुसार पृथक से डीप फ्रीजर की व्यवस्था करनी होगी।
13. सफल निविदाकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में पार्लर संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी पार्लर संबंधी समस्त लेनदारी—देनेदारी का निराकरण करेगा।

14. साँची स्मार्ट पार्लर से केवल साँची ब्रांड के दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पाद एवं आईसक्रीम के ही विक्रय करेंगे। इसके अतिरिक्त पार्लर संचालनकर्ता द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालनकर्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की जावेगी। पार्लर संचालनकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता पार्लर संचालनकर्ता द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
15. साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता को दुग्ध संघ के अधिकृत दूध, घी एवं दुग्ध उत्पाद आईसक्रीम सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा साँची दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा। द्वितीय पक्ष, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग सुपर स्टॉकिस्ट को देंगे तथा अग्रिम राशि सुपरस्टॉकिस्ट को भुगतान करेंगे।
16. दुग्ध संघ द्वारा साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर मासिक रूप से दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना साँची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता को अनिवार्य होगा। समय—समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा की जा सकेगी।
17. दुग्ध संघ के अधिकारी साँची स्मार्ट पार्लर का समय—समय पर निरीक्षण करेंगे तथा दो दिवस का ही भंडारण करना होगा। उत्पादित दिनांक से दो दिवस तक का ही प्रदाय उपभोक्ताओं को करना होगा। सभी उत्पाद निर्धारित तापमान पर भंडारण करना होगा, किसी भी दशा में डेयरी फैक्ट्री से सीधे प्रदायगी नहीं होगी। सभी उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से लेना होगा। सुपरस्टॉकिस्ट को अग्रिम भुगतान करना होगा। ताजा उत्पाद भंडारण रखना होगा। प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक साँची स्मार्ट पार्लर खुला रखना होगा। उपभोक्ताओं से मधुर व्यवहार रखना होगा।
18. सफल निविदाकर्ता द्वारा साँची स्मार्ट पार्लर से एक्सपायरी दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय नहीं करेंगे। निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाए जाने पर शासन के अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
19. पार्लर संचालक के कार्य की समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा पार्लर संचालक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।

20. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एम.आर.पी) दर पर ही पार्लर संचालनकर्ता दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा संचालनकर्ता को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सॉची दूध, दुग्ध पदार्थ, घी एवं आईसक्रीम आदि विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रु. 5,000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन पार्लर संचालनकर्ता को करना होगा। उक्त कार्य की पुनर्वाप्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बाट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
22. सॉची स्मार्ट पार्लर पर कार्यरत सेल्समेन को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना एवं नेम बैज लगाना अनिवार्य है।
23. सॉची स्मार्ट पार्लर संचालनकर्ता किसी भी स्थिति में पार्लर का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को नहीं करेंगे। पार्लर का मालिकाना हक इन्दौर दुग्ध संघ का रहेगा।
24. सॉची स्मार्ट पार्लर संचालक को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी। सॉची उत्पादों की भाव सूची अनिवार्य रूप से लगाना होगी।
25. निविदा में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं निविदा के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर ऐसी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
26. प्रबंधन द्वारा समय—समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
27. इस अनुबंध का न्यायाधिक कार्यक्षेत्र इंदौर शहर का न्यायालय में रहेगा।
28. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित सॉची स्मार्ट पार्लर आवंटन की सामान्य शर्तें भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।
29. पार्लर संचालनकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर ग्राहकों की पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों के वाहनों से यातायात बाधित न हो अन्यथा इसके लिए पार्लर संचालनकर्ता जिम्मेदार होगा।
30. सॉची स्मार्ट पार्लर हेतु दुग्ध संघ द्वारा न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रु. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन सॉची स्मार्ट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।

31. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
32. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्र. (03) एवं (04) रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पत्र पर तथा प्रपत्र क्र. 05 दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के तकनीकि विवरण प्रपत्र क्र. 01 के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की सामान्य शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है, यदि भविष्य में मेरे प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा आवंटन निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्ते मान्य है। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम—

पता—

उच्च न्यायालय खण्डपीठ परिसर, इन्दौर में साँची स्मार्ट पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र
प्रपत्र 03

1. निविदाकर्ता का नाम—

स्वहस्ताक्षरित फोटो
लगावे

2. पिता/पति का नाम—

3. शैक्षणिक योग्यता—

4. स्थाई पता—

5. ई—मेल अनिवार्य रूप से अंकित करें —

(आधार कार्ड की छायाप्रति/दूरभाष/मोबाइल नं. सहित)

6. पत्र व्यवहार का पता—

(दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)

7. वर्तमान व्यवसाय/कार्य—

व्यवसाय स्थान का पता —

(दूरभाष नंबर सहित)

8. वित्तीय स्थिति—

साँची स्मार्ट पार्लर संचालन हेतु लगाई जाने वाली पूंजी की व्यवस्था— हाँ/नहीं

9. 1) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—

.....
2) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—

साँची स्मार्ट पार्लर आवंटन हेतु निविदा के संबंधित समस्त शर्त एवं अनुबंध की शर्त पढ़
एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पे प्रस्तुत करें)

प्रपत्र 04

- “यह कि, मुझे यदि किसी भी निविदा मे भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो निविदा हेतु मैं अपात्र रहूँगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी निविदा निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।”
- यह कि मेरा/हमारा वर्तमान मे किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है एवं न ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरुद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है/चल रहा है।

यदि उपरोक्त मे से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु हम अपनी सहमति देते हैं।

गवाह—

- 1) नाम—
पता—
आधार कार्ड नं
मो.नं.
- 2) नाम—
पता—
आधार कार्ड नं
मो.नं.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

- नाम—
पता—
मो.नं. —

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/मेसर्स
वर्तमान में इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर के साथ
के रूप में कार्यरत् है तथा आज दिनांक तक की स्थिति में
श्री/श्रीमति/मेसर्स की तरफ इंदौर सहकारी दुग्ध
संघ मर्यादित, इंदौर एवं संबंधित दुग्ध संघ से की कोई भी
लेनदारी शेष नहीं है।

जारी दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर

वित्तीय बीड (केवल ऑन लाइन भरे)

(केवल अवलोकन हेतु)

प्रपत्र 06

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी ई-निविदा में उच्च न्यायालय खण्डपीठ परिसर, इन्दौर में साँची स्मार्ट पार्लर संचालित करने के लिए मैं/हम निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ।

1	2
प्रस्तुत दर का प्रकार	इंदौर सहकारी दुग्ध संघ न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर परिसर में साँची स्मार्ट पार्लर के संचालन कार्य हेतु संघ को देय वार्षिक किराया राशि रु. (कर अतिरिक्त)
अंकों में	रु. (केवल ऑन लाइन अंकित करें)
शब्दों में	रु..... (केवल ऑन लाइन अंकित करें)

नोट—

- ✓ साँची स्मार्ट पार्लर के संचालन हेतु दुग्ध संघ न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रु. 150000.00 (अक्षरी राशि रु. एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन साँची स्मार्ट पार्लर संचालन कार्य हेतु किया जाएगा।
- ✓ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर कर अतिरिक्त प्रभावशील होगा। अतः निविदाकर्ता तदनुसार दरें प्रस्तुत करें।
- ✓ वार्षिक किराया राशि केवल ऑन लाइन माध्यम से ही भेजा जाए और भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।
- ✓ निविदाकार द्वारा अंकों में शब्दों में दोनो अनिवार्यतः दरें प्रस्तुत की जायें। यदि अंकों में एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरें मान्य की जावेगी।